

सूचना का अधिकार (एक्ट - 2005)

RIGHT TO GET INFORMATION ACT-2005

दिनांक: 11 जुलाई, 2022

सेवा में,

✓ प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई)
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नम्बर-1, नॉलेज पार्क-04, ग्रेटर नोएडा सिटी,
ग्रेटर नोएडा-201308
जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

विषय : अपीलेट ऑथोरिटी के समक्ष आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील करने के संबंध में।

मान्यवर महोदय/महोदया,

दिनांक 27 मई, 2022 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के मांगी गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न) लेकिन एक महीने के उपरांत भी आपके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जबाव यथाशीघ्र दें।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना अधोहस्ताक्षरी को समय के अंदर मुहैया नहीं करायी जाती है यह बड़े दुख की बात है। हमेशा अधोहस्ताक्षरी का अपील में आना पड़ता है।

R.T.I-20259 (Rly)
Appi No. - 3529
14.7.22

भवदीय

Vijay Kumar

(Vijay Kumar)

Personal Assistant

Maulana Azad Medical College,

Bahadur Shah Zafar Marg,

Planning Branch, Room No.109,

New Delhi-110002

Mb: 9868115707

Email: mfp.vijaykumar@gmail.com

संलग्नक : यथोक्त

Copy for information & necessary action to : Greater Noida Authority has not given reply on time in respect of RTI.

The Chief Information Commissioner,

U.P. Information Commission, 7/7A, RTI Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti

Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226 001